न्यायालय डिवीजनल कमिश्नर, जोधपुर एवं पदेन भू–अभिलेख निदेशक
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 राजेश शर्मा, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 247 / 2021

अपीलान्ट	बनाम	**रेस्पोडेन्टस**
1. रामूराम पुत्र 2. चौखाराम पुत्र 3. भरमलराम पुत्रान हरिंगाराम निवासी– विष्णुनगर, जालोडा, तहसील लोहावट।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, आउ जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 विरूद्व आदेश क्रमांक प्र.गां.स. / 2021 / 07 दिनांक 26.11.2021 जो उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित किया गया।

उपस्थितीः––

1. श्री रोशनलाल विश्नाई, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता केविएटकर्ता श्री हीराराम वगैराह की ओर से।

निर्णय

दिनांकः दिसम्बर, 2021

1. अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लोहावट द्वारा आदेश क्रमांक प्र.गां.स. / 2021 / 07 दिनांक 26.11.2021 के विरूद्व यह प्रथम अपील न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.12..2021 को प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत होने की दिनांक को हीराराम, भरमलराम, महिपाल सिंह निवासी– ग्राम जालोडा, तहसील लोहावट की ओर से श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता द्वारा दिनांक 10.12.2021 को केविएट पेश पेश किया गया।

2. दौरान सुनवाई अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने केविएटर पक्ष को इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं होने के आधार पर उनकी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं किये जाने का अनुरोध किया। अपीलान्टस अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में सम्पादित कार्यवाही में ग्राम विष्णुनगर में आये हुए ख0सं0 754 में से रकबा 1.2464 हैक्टर, ख0सं0 755 रकबा 0.2347, ख0सं0 756 रकबा 0.1538, ख0सं0 757 रकबा 0.553 हैक्टर भूमि में गैर

मुमकीन रास्ता घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शे में तरमीम किये जाने का दिनांक 26.11.2021 को जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसमें अपीलान्ट के ख0सं0 754 में 1.2464 हैक्टर की भूमि भी आई हुई है और राजस्व रेकर्ड में गैरमुमकीन रास्ता दर्ज करने का घोषित किया है जो अपीलान्टस की कृषि भूमि में से भी होकर गुजरता है ऐसे में वह भी प्रभावित व्यक्ति है, अतः अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश को चुनौती दिये जाने हेतु यह अपील पेश करने की अनुमति दी जावे।

3. दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए यह कथन किया कि अधिनस्थ अदालत के समक्ष धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानो तहत इस आशय कर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि ग्राम विष्णुनगर में ख0सं0 754 में 1.2464 हैक्टर, ख0सं0 755 में से 0.2347 हैक्टर, ख0सं0 756 में से 0.1538 हैक्टर तथा ख0सं0 757 में से 0.553 हैक्टर भूमि रास्ते में मोके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि का गैर मुमकीन रास्ता घोषित किये जाने की कार्यवाही करावें।

4. अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 131 व 136 के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए एवं राज्य सरकार के परिपत्र का बिलकुल गलत अर्थ निकला है। अपीालाधीन आदेश न्यायिक आदेश की परिभाषा में नहीं आता है। इसके अतिरिक्त अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को नोटिस जारी नहीं किये गये जिस कारण से अपीलान्ट अपीलार्थीगण अपना पक्ष अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं रख सके जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरित होने से कारण अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। इसके अलावा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण की बिना सहमति से उनकी भूमि को गैर मुमकीन रास्तें में दर्ज नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थीगण द्वारा जब प्रशासन गांवों के संग कैम्प जालोडा में घटित हुआ था तब उनके द्वारा लिखकर दिया गया था कि मौके पर किसी तरह का रास्ता नहीं है तथा बंटवाडे का एक वाद सहायक कलेक्टर के यहॉ लम्बित है व कोई मुडिया व स्थाई रास्ता नहीं है। इसके बावजूद भी प्रत्यर्थी द्वारा अन्य गांव में लगे कैम्प में ले जाकर पत्रावली पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जो मिलावटी रूप से पारित किया

गया है। अतः अपीलान्टस की अपील को स्वीकार किया जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.11.2021 को निरस्त किया जावें।

5. प्रत्युतर में केविएट के अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलान्टस को यह अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है क्योंकि उनके द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनोती पेश किये जाने हेतु न्यायालय से किसी प्रकार की अनुमति लिये जाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है जिसके आधार पर उनकी अपील सुनवाई हेतु पोषनीय नहीं है। ऐसे में अपील अस्वीकार की जावे। इसके अतिरिक्त अपीलान्टस की अपील में उनके भूमि खसरे के अतिरिक्त अन्य खसरा संख्या 755, 756, 757 हम केविएटर्स के खातेदारी के खसरान भूमि है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, उससे प्रार्थीगण/ रेस्पोडेन्टस के खसरो बाबत रास्ते का आदेश पारित किया गया है, जो उचित होने से बहाल रखा जावे।

6. केविएट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलान्टस के द्वारा अपील प्रस्तुत करने की सूचना होने पर हम खातेदारान के द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से केविएट पेश किया एवं अपीलान्टस की अपील पर किसी प्रकार का आदेश पारित करने से पूर्व सुने जाने हेतु निवेदन किया है। ग्राम विष्णुनगर के उक्त खसरा संख्या 754, 755, 756, 757 में मौके पर चल रहे कदीमी रास्ते को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने का आदेश पारित किया है वो विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य है।

7. केविएट अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि उक्त कदीमी रास्ता रेस्पो0 केविएटकर्ता की एवं अपीलान्टगण की कृषि भूमि में से होकर गुजरता है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा मौके की रिपोर्ट के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश के द्वारा उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि को गैर मुमकीन रास्ता परिवर्तन करने एवं नक्शा में दुरूस्ती व राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये गये है जो उचित है अतः अपीलान्ट की अपील अस्वीकार की जावे तथा अपीलाधीन आदेश को बहाल रखा जावें। अधिनस्थ न्यायालय में जब कोई व्यक्ति पक्षकार नहीं है तो धारा 96 सीपीसी के तहत न्यायालय से अपील पेश करने की अनुमति लेने के प्रावधान आज्ञापक है। अपीलान्ट ने

अपील में अपीलार्थीगण द्वारा अपील पेश करने हेतु अनुमति प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश नहीं किया है। इस कारण से अपील पोषणीय नहीं है तथा इसी स्तर पर खारिज करने योग्य है। केविएटकर्ता की ओर से प्राथमिक आपत्तियों के सम्बन्ध में न्यायिक निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों का अवलोकन कराया यथा एआईआर 1971 एससी पेज 374, आरआरडी 1985 पेज 584, आरआरडी 1989 पेज 292, आरआरडी 1993 पेज 232, आरआरडी 1993 पेज 44, आरआरडी 2013 पेज 543 इत्यादि।

8. हमने पक्षकारान के अधिवक्ता द्वारा की गई बहस पर मनन किया एवं अपील में दर्शाये गये तथ्यों प्रस्तुत दस्तावेजों, न्यायिक निर्णयों इत्यादि का अवलोकन किया। अपीलान्टस अधिवक्ता ने केविएटर पक्ष को इस प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं होने के आधार पर उक्त अपील में उनकी किसी प्रकार से सुनवाई नहीं किये जाने का अनुरोध किया। इसी तरह केविएट अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया कि अपीलान्ट भी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नहीं होने से उन्हें भी अपील पेश करने का विधिक अधिकार नहीं बनता है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा उपरोक्त कार्यवाही में ग्राम विष्णुनगर में ख0सं0 754 में 01.2464 हैक्टर, ख0सं0 755 में से 0.2347 हैक्टर, ख0सं0 756 में से 0.1538 हैक्टर तथा ख0सं0 757 में से 0.553 हैक्टर भूमि जो राजस्व रेकर्ड में गैरमुमकीन रास्ता घोषित किया है उसमें अपीलान्टस के एवं रेस्पो0 केवियटकर्ता की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 754 में प्रचलित कदीमी रास्ता होकर गुजरता है। ऐसे में दोनों पक्षकार अपीलान्टगण एवं केविएटकर्ता दोनों ही समान रूप से प्रभावित एवं हितबद्ध व्यक्ति है। न्यायालयों को उद्देश्य न्यायिक दृष्टि से यही होना चाहिये कि श्य दोनों अधिवक्ताओं के तर्को पर मनन करने के उपरान्त एवं न्याय की दृष्टि से दोनों पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने की अनुमति देना उचित मानते हुए अपीलान्ट को अपील पेश करने की अनुमति दी जाकर उनको एवं केविएटर अधिवक्ता की भी सुना गया।

9. अपीलान्ट ने अपनी अपील में अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध प्रमुखतः यह आपत्ति उठाई है कि तहसीलदार लोहावट द्वारा अधिनस्थ अदालत उपखण्ड अधिकारी, लोहावट के समक्ष धारा 131 व 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ग्राम विष्णुनगर में ख0सं0 754 में

01.2464 हैक्टर, ख0सं0 755 में से 0.2347 हैक्टर, ख0सं0 756 में से 0.1538 हैक्टर तथा ख0सं0 757 में से 0.553 हैक्टर भूमि रास्ते में से अपीलान्टस की खातेदारी के ख0सं0 754 के भूमि में मोके पर चल रहे कदीमी रास्ते के उपयोग में आ रही भूमि को रास्ता घोषित किये जाने राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी सहमति नहीं ली गई और न ही उन्हें अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई का अवसर दिया है। इसके अतिरिक्त अपीलान्ट की ओर से सहायक कलेक्टर न्यायालय के समक्ष उक्त खसरा सं. 754 संयुक्त खातेदारी की होने से भूमि के बंटवाडा बाबत वाद प्रस्तुत किया जाना और वह विचाराधीन होना बताया है और उस कारण से उपरोक्त भूमि से बिना सहमति से रास्ता नहीं काटे जाने का कथन किया जाना, तहसीलदार कार्यालय के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया जाना दर्शाया है।

10. किसी खातेदार की खातेदारी भूमि को किसी सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग आने पर यानि आवागमन के रास्ते के रूप में उपयोग आने पर उसे अधिकृत रूप से रास्ता घोषित किये जाने एवं राजस्व रेकर्ड नक्शा लठठा ट्रेस में उक्त प्रकार से तरमीम किये जाने का आदेश दिये जाने से पूर्व उनकी मौखिक एवं लिखित सहमति लिया जाना एवं उसका पक्ष जानने/सुनवाई का अवसर दिया जाना प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के तहत एवं काननून आवश्यक होता है। साथ ही अधिनस्थ न्यायालय को खसरा संख्या 754 की भूमि बाबत प्रस्तुत बंटवाडा वाद को भी अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व कन्सीडर किया जाना आवश्यक था। हमारी विनम्र राय में प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के दृष्टिगत एवं उपरोक्त ऑब्जर्वेशन के आधार पर प्रकरण में अपीलान्टस को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर दिये जाने के पश्चात अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से यथोचित आदेश पारित करने हेतु उपखण्ड अधिकारी, लोहावट को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित रहेगा।

11. अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, लोहावट को उपरोक्त ऑब्जर्वेशनों को मध्यनजर रखते हुए प्रकरण में अपीलान्टस की खातेदारी के हक–हिस्से वाली खसरा संख्या 754 की रकबा भूमि के सम्बन्ध में अपीलान्टस को अपना पक्ष

प्रस्तुत करने एवं उन्हें सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत होती हो तो पुनः नये सिरे से 01 माह की अवधि में यथोचित आदेश पारित करें। निर्णय आज दिनांक दिसम्बर, .2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 राजेश शर्मा)
डिवीजनल कमिश्नर,
जोधपुर